सिविल विविध

माननिए न्यायमूर्ति आर. एस. नरूला, सी और के. एस. तिवाना.

हरदत्त सिंह, याचिकाएं

बनाम

खंड विकास और पंचायत अधिकारी, आदि- *उतरदाता*

1975 की सिविल रिट संख्या 3274।

25 अगस्त, 1975।

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम* (1953 *का IV ,हरियाणा राज्य में लागू*) *-धारा 9 (2) - हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव* नियम (1971*) - नियम* 38 *और* 39 *- धारा* 9 (2) *के दूसरे परंतुक के तहत निदेशक द्वारा दी गई 'पूर्व अनुमति' -जब ऐसी अनुमति के अनुसरण में आयोजित पंचायत की बैठक निर्धारित सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप न होने पर ऐसी चूक हो जाती है - तो ऐसी बैठक आयोजित नहीं की जानी चाहिए या नहीं-ऐसी बैठक में प्रस्तावित संकल्प - क्या यह समझा जाना चाहिए कि विचार नहीं किया गया है - बाद में निदेशक की नई अनुमति के बिना कानूनी बैठक आयोजित की गई - क्या सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने और पारित करने के लिए सक्षम है - ऐसी अगली बैठक आयोजित करना।–क्या धारा 9(2) के दूसरे परंतुक के पहले परंतुक द्वारा निषिद्ध नहीं किया गया है - धारा* 9(2) *के परंतुक में होने वाला शब्द '*- पंचायत के दो सदस्यों की मृत्यु का अर्थ - क्या पंचायत के गठन को अवैध बनाता *है - नियम 38 और* 39 - सरपंच के चुनाव के लिए बैठक आयोजित करने *और* आयोजित करने के लिए उसमें निर्धारित प्रक्रिया - क्या धारा के दूसरे परंतुक के तहत आयोजित बैठक पर लागू होता है। 9(2) *सरपंच के विरुद्ध अविश्वास मत पारित करने के लिए - गुप्त मतदान से नहीं बल्कि हाथ दिखाकर पारित किया गया संकल्प –चाहे वह अवैध हो या अमान्य–ऐसे संकल्प द्वारा सरपंच के प्रति किया गया पूर्वाग्रह– क्या यह माना जाए कि.

अभिनिर्धारित :

निदेशक द्वारा पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (हरियाणा राज्य पर लागू) की धारा 9 (2) के दूसरे परंतुक द्वारा किसी पंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए असाधारण आम बैठक आयोजित करने के लिए दी गई 'पूर्व अनुमति' केवल तभी व्यपगत होती

है जब कानूनी रूप से आयोजित बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जाता है और इसे या तो पारित किया जाता है या पराजित किया जाता है। जहां निदेशक द्वारा दी गई ऐसी अनुमति के अनुसरण में, कोई बैठक अधिनियम की वैधानिक आवश्यकताओं और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप सख्ती से आयोजित नहीं की जाती है, वहां ऐसी बैठक कभी भी आयोजित नहीं की गई मानी जाती है क्योंकि कथित बैठक कानून की नजर में कोई बैठक नहीं है और प्रस्तावित प्रस्ताव को कानून में ऐसा माना जाता है कि ऐसी बैठक में पंचों द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, बाद में आयोजित किसी कानूनी बैठक में किसी पंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है और पारित किया जा सकता है और अधिनियम की धारा 9 (2) के दूसरे परंतुक के पहले परंतुक के प्रावधान ऐसी बाद की बैठक के आयोजन के लिए कोई बाधा नहीं होंगे।.

(पैरा 2)

अभिनिर्धारित :

अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के परन्तुक में प्रकट होने वाले "गठित करने वाले" शब्द का अर्थ है "कुछ समय के लिए गठित करने वाला"। जहां पंचायत के दो सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में जब तक कि उनके रिक्त पदों को चुनाव आयोजित करके नहीं भरा जाता है, तब पंचायत को उस संख्या से कम दो सदस्यों द्वारा गठित माना जाएगा, जिसके द्वारा इसका मूल रूप से गठन किया गया था। हालाँकि, यदि किसी पंचायत में बचे पंचों की संख्या मूल रूप से गठित पंचायत की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से कम हो जाती है, तो जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि पंचायत की बैठक के लिए निर्धारित वैधानिक कोरम 50 प्रतिशत है।

(पैरा 3)

अभिनिर्धारित :

इस प्रकार कि किसी पंच के विरुद्ध अविश्वास मत पारित करने के लिए अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक के अधीन बैठक आयोजित करने या आयोजित करने की रीति के लिए कोई पृथक नियम विहित नहीं किए गए हैं, ऐसी बैठक उसी रीति से आयोजित की जानी है जिस रीति से सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के अन्तर्निहित सिद्धांतों के प्रवर्तन द्वारा किसी पंच के निर्वाचन के लिए बैठक आयोजित की जाती है। हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव नियम, 1971 के नियम 38 में एक पंच का चुनाव करने के लिए एक बैठक बुलाने का प्रावधान है और ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारी से चुनाव के

लिए बैठक की तारीख, समय और स्थान की सूचना देते हुए सभी पंचों को लिखित रूप में एक नोटिस जारी करने की अपेक्षा की गई है। इन नियमों के नियम 39 में इस नियम के एक पंच और उप-नियम (6) के चुनाव के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि केवल एक उम्मीदवार प्रस्तावित किया जाता है, तो उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा पंच के रूप में निर्वाचित घोषित किया जाएगा, लेकिन यदि चुनाव के लिए दो या दो से अधिक उम्मीदवारों का प्रस्ताव किया जाता है, तो चुनाव नियम 39 के उप-नियम (7) में बताए गए तरीके से "गुप्त मतदान" द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसलिए, जहां तक संभव हो, नियम के नियम 39 में दिए गए तरीके से ही किसी भी पंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए। जहां किसी पंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए किसी बैठक में गुप्त मतपत्रों के बजाय हाथ दिखाकर मतदान किया जाता है, वहां ऐसी बैठक नियम 39 के उपनियम (6) की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार आयोजित नहीं की जाती है। हाथ दिखाकर खुले तौर पर मतदान करने और गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान करने के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। यह अज्ञात नहीं है कि कुछ व्यक्ति ऐसे मामलों में अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने में सक्षम नहीं हैं यदि उन्हें पंच और विरोधी दलों की उपस्थिति में खुले तौर पर इस प्रकार के प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मतदान करना है और इसलिए मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष है यदि यह एक वास्तविक गुप्त मतपत्र द्वारा होता है। यदि कोई बैठक नियमों के नियम 39 (6) का पालन नहीं करती है, विशेष रूप से जहां पंच गुप्त मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने में विफल रहते हैं, बल्कि खुले तौर पर हाथ दिखाते हैं, तो ऐसी बैठक की कार्यवाही गैरकानूनी और शून्य हो जाती है। इस तरह की बैठक में सरपंचा को जो नुकसान पहुंचाया गया, वह स्पष्ट और अचूक है।

(पैरा 4)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन याचिका, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि:

(क) प्रत्यर्थी से अभिलेख मंगाने और उसी पर विचार करने के पश्चात् 28 मई, 1975 को पारित आक्षेपित संकल्प को निरस्त करने के लिए अनुलग्नक पी/1 द्वारा प्रमाण पत्र का एक रिट जारी किया जाए;

(ख) सिविल रिट याचिका सं. 1975 का 2234, साथ ही उसी में पारित आदेश की प्रति, कृपया वितरित की जा सकती है।

(ग) एकतरफा अंतरिम राहत के लिए अनुरोध की आवश्यकता वाले मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादियों पर रिट याचिका के प्रस्ताव की अग्रिम सूचनाओं को जारी किया जा सकता है और उनकी सेवा की जा सकती है;

(घ) रिट याचिका के अंतिम निर्णय तक विवादित प्रस्ताव के संचालन के साथ-साथ पंच के पद के लिए एक नए चुनाव के आयोजन पर रोक लगाई जा सकती है;

(ङ) इस माननीय न्यायालय द्वारा मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे जाने वाले किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किए जाएं;

(च) याचिका की लागत की अनुमति दी जाए।

श्री सुरिंदर सरूप, अधिवक्ता।

श्री एम. एस. लिब्रहान अधिवक्ता, उत्तरदाता 1 और 5 के लिए।

श्री एस. सी. कपूर, अधिवक्ता, उत्तरदाता 2 से 4 के लिए।

निर्णय

मुख्य न्यायमूर्ति नरूला – मूल रूप से नीला हेरी गांव की ग्राम पंचायत का गठन करने वाले 7 सदस्यों में से 2 की मृत्यु हो गई थी, शेष पांच द्वारा पंचायत का गठन किया जाना था। 20 मार्च, 1975 को आयोजित पंचायत की असाधारण आम बैठक में याचिकाकर्ता जो उक्त पंचायत का सरपंच था, के खिलाफ 3-2 के बहुमत से अविश्वास मत पारित किया गया था। हालांकि, उस बैठक में पारित अविश्वास प्रस्ताव को 16 मई, 1975 को इस न्यायालय की एक खंडपीठ (माननिए न्यायमूर्ति आर.एन. मित्तल और बैंस)) द्वारा रद्द कर दिया गया था, जबकि वर्तमान याचिकाकर्ता की 1975 की सिविल रिट याचिका संख्या 2234 को स्वीकार कर लिया गया था। दोनों पक्ष एक ही मुद्दे पर सहमत हैं वो यह है की : जिस आधार पर याचिका को मंजूरी दी गई थी, जिससे 20 मार्च, 1975 के अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था, वह यह था कि विचाराधीन बैठक की अध्यक्षता किसी एक पंच ने की थी, न कि खंड विकास और पंचायत अधिकारी या किसी अन्य अधिकृत अधिकारी ने। पिछली रिट याचिका में डिवीजन बेंच के फैसले के बाद, खंड विकास और पंचायत अधिकारी, प्रतिवादी नंबर 1 ने 21 मई, 1975 को एक नया नोटिस जारी किया, जिसमें 28 मई, 1975 के लिए ग्राम पंचायत की एक नई असाधारण आम बैठक बुलाई गई। उस बैठक में फिर से याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 3 से 2 के बहुमत से पारित किया गया था। उस बैठक में पारित संकल्प की प्रति अनुलग्नक पी 1 है।

28 मई, 1975 को आयोजित दूसरी बैठक की वैधता को अब हमारे समक्ष वर्तमान याचिका में चार आधारों पर आक्षेपित किया गया है, अर्थात् -

(1) पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 9 की उप-धारा (2) में दूसरे परंतुक का पहला परंतुक, जैसा कि हरियाणा में संशोधित किया गया है, के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक आयोजित करने पर रोक लगाता है जब उस बैठक से एक वर्ष पहले आयोजित बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था;

(2) धारा 9 की उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट अपेक्षा यह स्थापित करती है कि निदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना किसी पंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए बैठक आयोजित करने के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है। यह देखते हुए कि इस तरह की मंजूरी विशेष रूप से उस सभा के लिए नहीं ली गई थी जिसमें वर्तमान में विवादित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, यह माना जाना चाहिए कि बैठक आवश्यक अनुमति के बिना हुई थी। तर्क यह है कि 20 मार्च, 1975 को आयोजित पिछली बैठक के लिए निदेशक द्वारा दी गई मंजूरी उस बैठक के समाप्त होने के बाद अमान्य हो गई। इसलिए, 28 मई, 1975 को आयोजित विधानसभा के लिए एक नए प्राधिकरण की आवश्यकता थी।

(3) तर्क है कि, अधिनियम के विनिर्देशों के अनुसार, धारा 9 की उप-धारा (2) के दूसरे परन्तुक के तहत अविश्वास का मत केवल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गठित पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। चूंकि प्रस्ताव का समर्थन करने का दावा करने वाली पंचायत में अनिवार्य 7 सदस्यों के बजाय केवल 5 सदस्य शामिल थे, इसलिए इसका विधिवत गठन नहीं किया गया था, और इसलिए, इस तरह के अनुचित रूप से गठित पंचायत द्वारा पारित अविश्वास के किसी भी प्रस्ताव की वैधता नहीं है।

(4) अधिनियम या उसके साथ के नियमों में उल्लिखित किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में, जो अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए एक बैठक बुलाने और आयोजित करने की प्रक्रिया को निर्देशित करता है, यह अनिवार्य है कि उसी प्रक्रिया का पालन किया जाए जैसा कि नियमों के नियम 38 और 39 में निर्धारित किया गया है। इस स्थिति की पुष्टि इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने धरम सिंह और रिसाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1974 पी.एल.जे. 365) के मामले में की थी। चूंकि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया, जो एक गुप्त मतपत्र को अनिवार्य करती है, का वर्तमान मामले में पालन नहीं किया गया था, और इसके बजाय, हाथों के प्रदर्शन

के माध्यम से खुले तौर पर वोट डालने की अनुमति दी गई थी, इसलिए विवादित अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने की कार्यवाही रद्द होने के अधीन है।

(2) याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक दो तर्क कानूनी परिस्थितियों की गलतफहमी पर आधारित प्रतीत होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य याचिकाकर्ता के लिए था, और निदेशक ने पहले इस प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति दी थी। हालाँकि, यह केवल 20 मार्च, 1975 को हुई बैठक है, जहाँ प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया था, जिसे याचिकाकर्ता की पिछली रिट याचिका में पिछले अदालत के आदेश द्वारा अवैध घोषित किया गया है। नतीजतन, कानूनी स्थिति यह निर्धारित करती है कि 20 मार्च, 1975 की बैठक को ऐसा माना जाए जैसे कि यह कभी नहीं हुई थी, क्योंकि यह अधिनियम और नियमों की वैधानिक आवश्यकताओं का पालन नहीं करती थी, जिससे यह कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं थी। इसलिए, कानून की नजर में, उस बैठक के दौरान पंचों द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था, और 28 मई, 1975 को होने वाली अगली बैठक तक उनके पास इसके पक्ष या विपक्ष में वोट डालने का कोई कानूनी अवसर नहीं था। निदेशक की पूर्व अनुमति तभी समाप्त होगी जब कानूनी रूप से आयोजित बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस तरह की बैठक पहली बार 28 मई, 1975 को हुई थी। नतीजतन, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि वर्तमान बैठक के एक वर्ष के भीतर आयोजित पिछली बैठक में अविश्वास प्रस्ताव "पारित नहीं किया गया था", क्योंकि कानूनी रूप से, कोई पिछली बैठक नहीं थी। इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, याचिकाकर्ता के वकील की पहली और दूसरी दलीलों में योग्यता की कमी है और इन्हें खारिज कर दिया जाता है।

(3) जहाँ तक तर्क सं 3. हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पंचायत का गठन उचित रूप से किया गया था और केवल यह तथ्य कि इसके दो सदस्यों की मृत्यु हो गई थी, पंचायत के गठन को अवैध नहीं बना देगा। यह बिंदु रेस इंटीग्रा नहीं है। इस न्यायालय के एकल माननिए न्यायमूर्ति पहले ही जय पाल सिंह और अन्य बनाम पंचायतों के निदेशक, हरियाणा और अन्य 1974 पी.एल.जे 122, में कहा था कि अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के परन्तुक में प्रकट होने वाले "गठित करने वाले" शब्द का अर्थ है "कुछ समय के लिए गठित करने वाला"। माननिए न्यायमूर्ति ने आगे अभिनिर्धारित किया कि यदि पंचायत के एक सदस्य का निधन हो जाता है तो जब तक कि उसकी रिक्ति को चुनाव आयोजित करके नहीं भरा जाता है, तब तक पंचायत का गठन उस संख्या से कम एक सदस्य द्वारा किया गया माना जाएगा जिसके द्वारा इसे मूल रूप से गठित किया गया था। हम उस मामले में शर्मा, जे. द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं। याचिकाकर्ता के वकील

का तर्क है कि यदि जय पाल सिंह के मामले में न्यायमूर्ति शर्मा के फैसले के अनुपात को इसकी तार्किक सीमा तक बढ़ाया जाता है, तो न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करना होगा कि यदि पंचायत के 7 में से 6 सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, तो शेष एकल सदस्य पंचायत का गठन करेगा। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। पंचायत की बैठक के लिए निर्धारित वैधानिक कोरम 50 प्रतिशत है और जब किसी पंचायत में बचे पंचों की संख्या मूल रूप से गठित पंचायत की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से कम हो जाती है, तो जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस तरह की घटना के परिणाम पर विस्तार से बात करना अनावश्यक है क्योंकि यह दोनों पक्षों का स्वीकृत मामला है कि तत्काल मामले में 7 में से 5 पंच जीवित हैं और उन सभी ने विवादित बैठक में भाग लिया था। इसलिए, वकील का तीसरा निवेदन भी विफल हो जाता है।

(4) याचिकाकर्ता के वकील श्री सुरिंदर सरूप द्वारा प्रस्तुत चौथे और अंतिम तर्क को समझने के लिए हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव नियम, 1971 (इसके बाद इसे हरियाणा नियम के रूप में संदर्भित किया जाता है) के नियम 38 और 39 का उल्लेख करना आवश्यक है। नियम 38 में पंच का चुनाव करने के लिए एक बैठक बुलाने की प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है, जिसमें खंड विकास और पंचायत अधिकारी को सभी पंचों को एक लिखित नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है, जिसमें चुनाव बैठक की तारीख, समय और स्थान का संकेत होता है। नियम 39 में उप-नियम (6) में कहा गया है कि यदि केवल एक उम्मीदवार प्रस्तावित किया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी उन्हें पंच के रूप में निर्वाचित घोषित करेगा। हालाँकि, यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों का प्रस्ताव किया जाता है, तो चुनाव "गुप्त मतपत्र द्वारा" आयोजित किया जाएगा जैसा कि नियम 39 के उप-नियम (7) में विस्तृत है। यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक के अधीन बैठकों के संचालन के लिए, विशेष रूप से पंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए, कोई विशिष्ट नियम स्थापित नहीं किए गए हैं। धरम सिंह और रिसाल सिंह के मामले में, डिवीजन बेंच ने कहा कि चूंकि हरियाणा के नियमों में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि किस तरीके से पंचों की बैठक बुलाकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए, इसलिए ऐसी बैठक में उसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए जो सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। जबकि उत्तरदाताओं ने इस दृष्टिकोण की वैधता को चुनौती दी है, हमें धरम सिंह और रिसाल सिंह के मामले में माननिए मुख्य न्यायमूर्ति महाजन और माननिए न्यायमूर्ति पट्टार के फैसले से असहमत होने का कोई कारण नहीं मिलता है। तदनुसार, हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि जहां तक संभव हो, हरियाणा नियमों के नियम 39 में उल्लिखित तरीके से, पंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए। यह देखते हुए कि 28 मई, 1975 की बैठक में गुप्त

मतदान के बजाय खुले तौर पर हाथ दिखाकर मतदान किया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि बैठक में नियम 39 के उप-नियम (6) की सख्त वैधानिक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था। खुले तौर पर मतदान करने और गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान करने के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ व्यक्ति पंच और विरोधी दलों की उपस्थिति में खुले तौर पर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र महसूस न करें। इसलिए, गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान को एक निष्पक्ष और अधिक निष्पक्ष तरीका माना जाता है। प्रत्यर्थी यह तर्क नहीं दे सकते हैं कि नियम 39 (6) की आवश्यकता का पालन करने में विफलता ने याचिकाकर्ता के लिए पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया है। हम अटकलबाजी की चर्चा में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं। धरम सिंह और रिसाल सिंह के मामले में डिवीजन बेंच के फैसले के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 28 मई, 1975 की बैठक हरियाणा नियमों के नियम 39 (6) के अनुसार आयोजित नहीं की गई थी, क्योंकि उपस्थित पंचों को गुप्त मतपत्र डालने का निर्देश नहीं दिया गया था, बल्कि उन्हें हाथ दिखाकर खुले तौर पर मतदान करने की अनुमति दी गई थी।

(5)प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों श्री एमएस लिब्रहान और श्री एससी कपूर का तर्क है कि भले ही विवादित बैठक की कार्यवाही अनुचित और कानूनी रूप से संदिग्ध थी, लेकिन याचिकाकर्ता अब विबन्धितहै क्योंकि वह सक्रिय रूप से बैठक में शामिल थे और इस तरह की प्रक्रिया पर कोई आपत्ति उठाए बिना हाथ दिखाने के माध्यम से जीतने का जोखिम उठाया। इस संबंध में अतर सिंह और अन्य बनाम *हरियाणा राज्य और अन्य* 1973 पी.एल.जे. और *राम नाथ* बनाम *रमेश और अन्य* 1973 पी.एल.आर. 819. मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के दो निर्णयों पर विश्वास जताया गया है। इनमें से कोई भी मामला अधिनियम या उन नियमों के तहत नहीं आया है जिनसे हम वर्तमान मामले में संबंधित हैं। इसके विपरीत, श्री सुरिन्दर सरूप ने शीओ चंद बनाम जी राम और अन्य, 1975 पी.एल.जे 4 में एक डिवीजन बेंच के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उस मामले में, माननिए मुख्य न्यायमूर्ति बी.आर.. तुली, (जैसा कि वह तब थे) और माननिए न्यायमूर्ति ए.एस. बैंस, ने कहा था कि यदि किसी याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया जाता है कि उसे नए सरपंचा के चुनाव में भाग लेने के कारण अविश्वास बैठक की वैधता को चुनौती देने से रोका गया है, तो ऐसी आपत्ति मान्य नहीं होगी यदि याचिकाकर्ता अविश्वास बैठक में सरपंचा के मतदान से बाहर होने के परिणामस्वरूप आयोजित पुनर्निर्वाचन में भाग लेने से परहेज करता है। शीओ चंद के मामले में फैसला वर्तमान परिस्थितियों के साथ निकटता से मेल खाता प्रतीत होता है। डिवीजन बेंच के सदस्यों के रूप में, हम उस मिसाल से बंधे हैं, और तदनुसार, हम शीओ चंद के मामले में

स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाई गई आपत्ति को अस्वीकार करते हैं।

(6) श्री सुरिन्दर सरूप द्वारा आग्रह किए गए बिन्दु संख्या 4 पर हमारे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका की अनुमति दी गई है और 28 मई, 1975 को आयोजित पंचायत की असाधारण आम बैठक में पारित याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है, जिससे ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारी को उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में कानून के अनुसार प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक नई बैठक बुलाने और आयोजित करने का अवसर मिल गया है। कोई लागत नहीं।

बी.एस.जी.के.एस.

न्यायमूर्ति तिवाना।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सचिन सिंघल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा